# कार्यालय कलेक्टर, जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)
## //सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक / 1934 / भू–अर्जन / 137 / 2020 धमतरी दिनांक 26 / 02 / 2021

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की "कुरूद–मेघा–मगरलोड–धौंराभाठा खिसोरा–पांडुका मार्ग का चौड़ीकरण" हेतु **ग्राम परसाबुड़ा, पटवारी प.ह.नं.–31, तहसील मगरलोड, जिला धमतरी** स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत् नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित भूमि को परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग, लोक निर्माण विभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

| भूमि का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| भूमिस्वामी का नाम | खसरा नंबर | कुल रकबा (हेक्टेयर में) | आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| चिंताराम, ओमप्रकाश, रेवतीबाई पिता दयाराम | 135 | 0.03 | 0.0032 | कलेक्टर जिला धमतरी |
| चन्द्रकुमार पिता बुधुराम | 148 | 0.52 | 0.0024 | |
| विनोद कुमार, बीनाबाई, आरतीबाई पिता सोमन, कीर्तनबाई पति सोमन, कृष्ण कुमार, हरीश कुमार, टामिन बाई, डेमिनबाई पिता उमेन्द्र | 149 | 0.31 | 0.030 | |
| अशोक कुमार पिता कोमलसिंह | 150/2 | 0.51 | 0.0040 | |
| कृष्ण कुमार, खेमान लाल, गिरजा, शकुन, नीराबाई पिता जोहत | 151 | 0.22 | 0.0096 | |
| घुरवाबाई पिता पुनितराम | 204 | 0.04 | 0.0040 | |

02– यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर
जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 1935 / भू–अर्जन / 137 / 2020 धमतरी, दिनांक 26 / 02 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी कुरूद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी.प्रोजेक्ट) रायपुर संभाग, लोक निर्माण विभाग सिरपुर भवन रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार मगरलोड, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।